क्रमांक : 68 दिनांक : 6/3/2021

प्रेषक :– प्रभारी अधिकारी (रिकॉर्ड शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर–प्रथम

प्रेषिति :– समस्त न्यायालय
जयपुर महानगर–प्रथम व द्वितीय

विषय :– अपील व रिवीजन पेश होने पर रिकॉर्ड शाखा से पत्रावलियां तलब किये जाने के संबंध में।

महोदय,

नम्र निवेदन है कि वर्तमान में जयपुर महानगर–प्रथम व द्वितीय का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड शाखा में संधारित किया जा रहा है। रिकॉर्ड शाखा में पत्रावलियों की वीडिंग (तलफी/नष्टीकरण) मान्यवर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–प्रथम के निर्देशानुसार व नियमानुसार समय समय पर की जाती रही है व वर्तमान में की जा रही है। प्रायः यह देखने में आया है कि अपील न्यायालय में अपील व रिवीजन पेश होने पर निचली अदालतों की पत्रावलियां तुरन्त तलब नहीं कर करीब एक वर्ष पश्चात् व इससे भी ज्यादा समय पश्चात् तलब की जाती हैं। उक्त समय में रिकॉर्ड शाखा में नियमानुसार पत्रावलियां नष्ट होने की प्रबल सम्भावना रहती है जिससे अपील व रिवीजन सुनवाई के कार्य में परेशानी का सामना करना पड सकता है।

अतः उक्त स्थिति को रोकने की दृष्टि से न्यायालयों में अपील व रिवीजन पेश होने पर रिकॉर्ड शाखा से निचली न्यायालयों की पत्रावली अविलम्ब तलब कर ली जावे जिससे पत्रावली तलफ होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

sd
प्रभारी अधिकारी (रिकॉर्ड शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : 71 दिनांक : 6/3/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–प्रथम।
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
3. सिस्टम अधिकारी को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

6/3/2021
प्रभारी अधिकारी (रिकॉर्ड शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर–प्रथम